उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपकम)
आठवां तल, शक्ति भवन विस्तार,
अशोक मार्ग लखनऊ -226001

U. P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.
(U.P. Govt. Undertaking)
8th Floor Shakti Bhawan Extn,
Ashok Marg, Lucknow-226001

CIN: U40101UP1980SGC005065

पत्रांक– 197 / उ0नि0लि0 / उपमु0लेखा0(वित्त) दिनांक : 31.07.2021

कार्यालय ज्ञाप

पूर्व में परिचालन एवं अनुरक्षण (Repair and Maintenance) मद में निर्गत कार्यालय ज्ञापों को अतिक्रमित करते हुए निदेशक मण्डल की 195वीं बैठक, दिनांक 08.07.2021 में पारित एजेंडा आइटम सं० 195.14 के अनुपालन में परिचालन एवं अनुरक्षण मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं आगामी वर्षो हेतु निधि निर्गमन निम्नवत् आवंटित किया जाता है :–

(रू0 करोड़ में)

क्र0सं0	परियोजना का नाम	Installed Capacity (MW)	परिचालन एवं अनुरक्षण की वार्षिक धनराशि	परिचालन एवं अनुरक्षण की मासिक निर्गत धनराशि
1	अनपरा 'अ'	630	59.85	4.99
2	अनपरा 'ब'	1000	72.50	6.04
3	अनपरा 'द'	1000	72.50	6.04
4	ओबरा 'ब'	1000	95.00	7.92
5	पारीछा विस्तार–। (2X210)	420	39.90	3.33
6	पारीछा विस्तार–।। (2X250)	500	47.50	3.96
7	हरदुआगंज (1X110 मे0वा0)	110	7.20	0.60
8	हरदुआगंज विस्तार–। (2x250)	500	47.50	3.96
	कुल धनराशि		**441.95**	**36.84**

नोट:– उक्त परिचालन एवं अनुरक्षण (Repair and Maintenance) मद में आवंटन निम्न के शर्ताधीन प्रदान किया जाता है :–

i. उपरोक्त सारणी मे परिचालन एवं अनुरक्षण के अन्तर्गत प्रस्तावित धनराशि परियोजनाओं के UPERC के मानकों के अन्तर्गत Fixed Charges की शत प्रतिशत की रिकवरी के आधार पर अनुमानित की गई है। किसी परियोजना की UPERC द्वारा निर्धारित Declared Capacity से 95 प्रतिशत से कम बिलिंग होने की दशा में परिचालन एवं अनुरक्षण की धनराशि सम्बन्धित परियोजना तिमाही आधार पर समानुपातिक रूप से समायोजित कर लिया जाएगा।

ii. उक्त मासिक आवंटन के विरुद्ध धनराशि प्रत्येक माह की 07 एवं 22 तारीख को दो समान किश्तों में अवमुक्त की जाएगी।

iii. (क) परियोजना प्रमुख द्वारा परिचालन एवं अनुरक्षण निधि के अन्तर्गत खण्डवार आबंटन लेखा शाखा के प्रमुख की सलाह से परियोजना को आवंटित धनराशि की सीमा में करते हुए इसकी सूचना 15 दिवसों के अन्दर मुख्यालय को प्रेषित की जाएंगी।

(ख) प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन परियोजना द्वारा उक्त निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही किये जाएं। उक्त सीमा से अधिक दायित्व सृजन होने पर गम्भीरतापूर्वक विचारित किया जाएगा।

(ग) परियोजना प्रमुख द्वारा खण्डवार पुनरीक्षण करते हुए धनराशि का पुनः आबंटन परियोजना के लेखा प्रमुख की सलाह से किया जा सकता है।

(घ) उक्त के अतिरिक्त मुख्यालय से परियोजनाओं द्वारा इस आदेश के लागू होने के पश्चात् कोई भी अतिरिक्त निधि अलग से निर्गत नहीं की जाएंगी यथा उक्त प्रावधानित धनराशि में परिचालन एवं अनुरक्षण (Repair and Maintenance) के समस्त व्यय (प्लांट का बीमा, विशेष परिचालन एवं अनुरक्षण, बी0एच0ई0एल0 एवं इन्स्ट्रूमेण्टेन्शन लि0 के दायित्व, कार्ययोजना, कोयला संचालन खण्ड, इत्यादि) सम्मिलित है।

(ङ) परियोजना प्रमुख द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएं कि कोई भी व्यय उक्त आबंटित बजटीय सीमा के अन्तर्गत ही किया जाएं।

iv. उत्पादन इकाई के दीर्घकाल आर0 एण्ड एम0 में बन्द करने पर मासिक परिचालन एवं अनुरक्षण धनराशि में समानुपातिक कटौती भी की जाएगी, एवं Common Facilities के लिए आनुपातिक रूप से धनराशि अलग से निर्गत की जाएगी।

v. अधिक मूल्य के स्पेयर्स की आपूर्ति हेतु रू0 50.00 करोड़ अलग से प्राविधानित किये जा रहे है, जिसे किसी भी प्रकार की आकस्मिकता में (रु0 5.00 करोड़ से अधिक) क्रय किए जाने हेतु परियोजना से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निदेशक समिति के अनुमोदन के आधार पर स्पेयर्स पार्ट्स के क्रय एवं कार्य के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के उपरान्त आवश्यकतानुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

vi. ओवरहालिंग व्ययों के लिए रू0 100.00 करोड़ अलग से प्राविधानित किये जा रहे है। ओवरहालिंग हेतु अनुमति प्रदान करने वाली मुख्यालय की तकनीकी इकाई का यह दायित्व होगा कि संगत वित्तीय वर्ष में ओवरहालिंग हेतु उक्त निर्धारित बजट की सीमा के अन्तर्गत ही प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति की जाएं। आगामी वर्ष में होने वाली निगम की परियोजनाओं की ओवरहालिंग हेतु परियोजनाओं द्वारा खण्डवार इकाईवार वित्तीय प्राविधान किये जाने हेतु अनुमानित धनराशि 15 फरवरी से पूर्व मुख्यालय स्थित तकनीकी इकाई को प्रेषित की जाएगी एवं मुख्यालय की सम्बन्धित इकाई द्वारा सम्बन्धित परियोजना के ओवरहालिंग प्रस्ताव का परीक्षण करते हए निर्धारित बजटीय सीमा के अन्तर्गत वित्त इकाई को प्रेषित की जाएंगी।

vii. परियोजनाओं को आवंटित धनराशि कुल सीमा के अंतर्गत परिचालन एवं अनुरक्षण निधि पर पुनर्विचार करते हुये पुनः परियोजनावार आवंटन करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा।

viii. मुख्यालय स्तर से कुछ स्पेयर्स पार्ट्स क्रय करने/कार्य कराने हेतु परियोजना के लिए केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत बेहतर गुणवत्ता एवं न्यूनतम मूल्य आपूर्तित किये जाने के उद्देश्य से क्रय किये जाने एवं लम्बित दायित्वों के भुगतान का निर्णय लिया जा सकता है, जिस पर अनुमोदित व्यय को सम्बन्धित परियोजना को आबंटित परिचालन एवं अनुरक्षण की धनराशि से उस सीमा तक समायोजित/कटौती की जाएंगी।

ix. वर्तमान समय में कुछ अनुबन्धों के अन्तर्गत मुख्यालय से धनराशि अवमुक्त करने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है, जिसे उक्त अनुबन्धों की अवधि की समाप्ति तक प्रक्रिया में रखा जाएगा, उसके पश्चात् इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा।

x. अपवादस्वरूप यदि किसी अनुबन्धकार/आपूर्तिकर्ता को मुख्यालय से कोई भुगतान किया जाता है, तो मुख्यालय से भुगतान करते हुए उसका समायोजन/कटौती परियोजना को आबंटित मासिक परिचालन एवं अनुरक्षण निधि से कर लिया जाएगा।

xi. परियोजना को अपने परिचालन एवं अनुरक्षण व्ययों को उक्त प्रस्तावित सीमा के अन्तर्गत ही किया जाना होगा, यद्यपि अपवाद स्वरूप किसी अनापेक्षित दशा में यदि परिचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धी व्यय किया जाना है, तो उसे प्रबन्ध निदेशक महोदय से पूर्वानुमति लेते हुए ही कराया जाएं।

xii. परियोजनाओं द्वारा बजट के सापेक्ष वास्तविक व्यय की गयी धनराशि का विवरण (बजट एवं वास्तविक व्यय में अन्तर के कारण एवं उक्त में प्रस्तावित संशोधन पर सुझाव) मासिक उपभोग प्रमाण पत्र सहित मुख्यालय की वित्त इकाई को आगामी माह की 07 तारीख तक उपलब्ध कराया जाएगा।

xiii. प्राथमिकता 'ए' एवं 'बी' के अन्तर्गत कार्यादेश/क्रयादेश को वर्गीकृत करने की वर्तमान प्रणाली को निदेशकों की समिति द्वारा पुर्नविचारित करने के उपरान्त लिए गये निर्णय से परियोजनाओं को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

Awasthi

xiv. हरदुआगंज 1x110 मे0वा0 परियोजना का परिचालन निरन्तर न होने एवं निकट भविष्य में निगम की स्थापित क्षमता से हटाये जाने की सम्भावना के दृष्टिगत इस इकाई को परिचालन एवं अनुरक्षण (Repair and Maintenance) मद में पूर्व मे निर्गत की जा रही धनराशि ही निर्गत की जाती रहेगी।

xv. हरदुआगंज विस्तार परियोजना (1x660 मे0वा0) की COD होने पर Repair & Maintenance के मद में प्रतिमाह रू0 4.78 करोड़ (8.684X660/12), जिसमें से धनराशि रू0 0.96 करोड़ (20 प्रतिशत) ओवरहालिंग मद में, रू0 0.48 (10 प्रतिशत) अप्रत्याशित विशेष स्पेयर्स मद में एवं शेष धनराशि रू0 3.32 करोड़ की धनराशि परियोजना को प्रति माह अवमुक्त की जाएगी। उक्त इकाई की कमिशनिंग की प्रारम्भिक एकवर्षीय अवधि में निर्धारित मानक (Parameters) प्राप्त न किये जाने की स्थिति में, निदेशक (तक0) द्वारा समीक्षा करते हुए निदेशक (वित्त) की सहमति से निर्धारित धनराशि में समानुपातिक रूप से कटौती की जाएगी।

xvi. उक्त आदेश दिनांक 01.08.2021 से प्रभावी होंगे।

इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक– 197/उ0नि0लि0/उ0मु0ले0(वित्त) तद्दिनांकः 31/07/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0नि0लि, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन), उ0नि0लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त) उ0नि0लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. निदेशक (तकनीकी), उ0नि0लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. निदेशक (परियोजना एवं वाणिज्य), उ0नि0लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. कम्पनी सचिव, उ0नि0लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II), पी0पी0एम0एम0/तापीय परिचालन/ईधन/वाणिज्य/मानव संसाधन/जानपद/पर्या0 एवं सु0/आर0 एण्ड एम0/जानपद–नव परियोजनायें, उ0नि0लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (प्रगति), उ0नि0लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
9. मुख्य अभियन्ता–I/II, उ0नि0लि ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज तापीय परियोजना, अनपरा (सोनभद्र), ओबरा (सोनभद्र), पारीछा (झाँसी), पनकी (कानपुर) को इस निर्देश के साथ कि उक्त निर्धारित सीमा में अनुरक्षण एवं परिचालन व्यय नियंत्रित रखें।
10. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0नि0लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/उपमुख्य लेखाधिकारी (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ0नि0लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. उपमुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, अनपरा–अ/ब/द/ओबरा–ब/पारीछा 2X210 मे0वा0/पारीछा 2X250 मे0वा0/हरदुआगंज 1X110 मे0वा0/हरदुआगंज 2X210 मे0वा0/हरदुआगंज 1X660 मे0वा0 तापीय परियोजना।
13. मुख्य प्रबन्धक, कैश प्रबन्धन इकाई, उ0नि0लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

Awasthi
31/07/2021
(उमेश अवस्थी)
उपमुख्य लेखाधिकारी (वित्त)